भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. †*359
दिनांक 12.08.2026 को उत्तर देने के लिए

पश्चिम बंगाल में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) की खोज

†*359. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बेलमा-मल्थोर, चिरुगोरा, मेदनीटार और पुरदाहा के ब्लॉकों में जी-2 (सामान्य अन्वेषण) चरण में खनिज अन्वेषण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में ड्रिलिंग, नमूनाकरण और भूभौतिकीय सर्वेक्षण संबंधी कितना कार्य पूरा कर लिया गया है और उनसे स्थापित या प्रत्याशित संसाधन अनुमान क्या हैं;
(ख) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने इन जी-2 ब्लॉकों को जी-1 (विस्तृत अन्वेषण) चरण में स्तरोन्नत करने के लिए कोई समय-सीमा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इनमें से किसी ब्लॉक पर जी-2 अन्वेषण पूरा होने के बाद संयुक्त लाइसेंस या खनन पट्टों के रूप में नीलामी के लिए विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो इसकी अपेक्षित समय-सीमा और तौर-तरीके क्या हैं; और
(घ) कालापत्थर-रघुडीह आरईई ब्लॉक को छठे चरण के अंतर्गत कोई बोली प्राप्त नहीं होने के दृष्टिगत पश्चिम बंगाल में संभावित बोलीदाताओं के लिए आरईई ब्लॉकों के वाणिज्यिक आकर्षण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो, संसद सदस्य द्वारा "पश्चिम बंगाल में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) की खोज" के संबंध में दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. †*359 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बेलमा-मालथोर ब्लॉक में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के खनिजीकरण के लिए सामान्य गवेषण का क्षेत्र कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत 50 लाइन किलोमीटर का भूभौतिकीय सर्वेक्षण तथा 2400 कोर नमूनों के संग्रहण सहित 2001.95 मीटर वेधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, पुरुलिया जिले के चिरुगोरा, मेदनीतार और पुरदाहा ब्लॉकों को गवेषण के जी3 से जी2 चरण में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया गया है। अब तक, इन ब्लॉकों से आरईई के किसी संसाधन के होने की पुष्टि नहीं की गई है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 तथा खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 में किए गए अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार, जीएसआई को जी2 चरण (सामान्य गवेषण) तक गवेषण करने का अधिदेश दिया गया है।

(ग): किसी खनिज ब्लॉक की नीलामी उस ब्लॉक में स्थित खनिज संसाधन की मात्रा और ग्रेड पर निर्भर करती है। ब्लॉकों को उनके खनिज संसाधनों के आधार पर नीलामी के लिए रखा जाता है। चूंकि इन ब्लॉकों में अब तक आरईई के किसी संसाधन की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें नीलामी के लिए नहीं रखा गया है।

(घ): पश्चिम बंगाल राज्य में आरईई ब्लॉकों सहित ब्लॉकों को वाणिज्यिक रूप से अधिक आकर्षक बनाने के लिए, नीलामी प्रक्रिया के दौरान, सरकार द्वारा संभावित बोलीदाताओं तथा खनन क्षेत्र के अन्य हितधारकों को इससे जोड़ने के उद्देश्य से रोड शो एवं आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन पहलों का उद्देश्य व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा निवेश के अवसरों की व्यापक जानकारी उपलब्ध कराना है।
